अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2023/344 रीवा दिनांक : 11-5-2023

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
दि कालेज ऑफ लॉ एण्ड लीगल एंड
शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्वता नवीनीकरण सत्र 2023–2024 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03–05–2023 के आइटम क्रमांक 4(37) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2023–2024 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्वता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्ष–60×3 सेक्शन=180सीट।
2	एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (बी.सी.आई. द्वारा वर्तमान में 60सीट संख्या के आधार पर बैच प्रारम्भ किये जाते हैं)–320सीट।
3	एलएल.एम.–30सीट।

नोट –

1. बी.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश बी.सी.आई. की मान्यता मिलने के पश्चात ही दें।
2. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
3. लायब्रेरी में पुस्तकों की संख्या एवं लो जर्नल्स अपडेट करें।
4. महाविद्यालय द्वारा पूर्व में लगायी गई शर्तों का पालन करें एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार अतिरिक्त भवन की आवश्यकता को भी पूर्ण करायें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2024–2025 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)